# कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।

क्रमांक– आदेश/2021/36 दिनांक–21.05.2021

**––:: रिमाण्ड डयूटी बाबत संशोधित कार्यालय–आदेश ::––**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के सूचना पत्र दिनांक 21-05-2021 द्वारा समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 22-05-2021 को कार्य स्थगित किये जाने के कारण मैं नीतू भारद्वाज, लिंक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–14 सपठित धारा–15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्न न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को आवश्यक दांडिक कार्य, रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान, मृत्युकालिक कथन, सुर्पुदगी एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में प्रातः 8.00ए0एम0 से दोपहर 12.30पीएम तक सम्पादित करने के लिए अधिकृत करती हूँः–

**करौली (करौली एवं सपोटरा) परिक्षेत्र हेतु–**

**माह मई 2021**

| क.सं. | नाम अधिकारी | पदनाम | तारीख |
|---|---|---|---|
| 01. | 02. | 03. | 04 |
| 1 | श्रीमती नीतू भारद्वाज RJS | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली | 22 मई 2021 |

**हिण्डौन परिक्षेत्र (हिण्डौनसिटी, टोडाभीम, श्रीमहावीरजी एवं नादौती) हेतु–**

| क.सं. | नाम अधिकारी | पदनाम | तारीख |
|---|---|---|---|
| 01. | 02. | 03. | 04 |
| 1 | श्री मुकेश कुमार सांवरियॉ RJS | न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी | 22 मई 2021 |

**नोट– उक्तांकित दिनांक की रिमाण्ड डयूटी के अलावा इस कार्यालय का पूर्व आदेश कमांक 27 दिनांक 29.04.2021 यथावत रहेगा।**

**निर्देशः–**

1. अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।
3. नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
4. अवकाश के दिन यदि सम्बंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर है तो वह अपने परिक्षेत्र से सम्बंधित उक्त कार्यकरेंगे।

Sd/-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

क्रमांक– 85 दिनांकः– 21.05.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

**1.**श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली ।
**2.**श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
**3.**संबंधित अधिकारी सर्व श्री........................................................................................
**4.**अध्यक्ष, बार एसोसिएसन न्यायालय परिसर, करौली ।
**5.**सिस्टम आफीसर जिला न्यायालय करौली सभी पीठासीन अधिकारीयों एवं न्यायालयों को मेल करे तथा जिला न्यायालय करौली की वेवसाईट पर इस आदेश को अपलोड करे।
**6.**प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली।
**7.**आदेश पत्रावली /नोटिस बोर्ड

21.5.21
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली